संख्याः– 2787 / उन्तीस / 04–2(38पे0) / 2004

प्रेषक,

कुँवर सिंह
अपर साचिव
उत्तरांचल शासन

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
उत्तराचल पेयजल निगम,
देहरादून।

पेयजल अनुभाग देहरादनः दिनांकः14 मार्च, 2005

विषय जनपद पौड़ी की एकेश्वर सोर्स आर्गुमेनटेंशन पेयजल योजना की प्रशासकीय / वित्तीय स्वीकृति (न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम)।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके कार्यालय के पत्राक 317 / /अप्रेजल–पौड़ी / दिनाक–26.07.2004 एवं पत्रांक 566 / अप्रेजल–पौड़ी / दिनांक 05.11.2004 सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद पौड़ी की एकेश्वर सोर्स आर्गुमेनटेंशन पेयजल योजना अनु0लागत रू0 650.14 लाख के प्राक्कलन का परीक्षणोपरान्त टी0ए0सी0 द्वारा औचित्यपूर्ण पायी गयी धनराशि रू0 610.76 लाख (रू0 छः करोड़ दस लाख छियत्तर हजार मात्र) की लागत के आगणन पर श्री राज्यपाल प्रशासकीय एंव वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो के अधिन दिये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है ।

(1) आगणन मे उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत / अनुमोदित दरों को जो दरें शिडयूल आफ रेट में स्वीकृत नहीं है अथवा बाजार भाव से ली गयी हों, की स्वीकृति पर निमानुसार अधीक्षण अभिन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा ।

(2) कार्य कराने से पूर्व विस्तृत आगणन एवं मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी होगी, बिना प्राविधिक स्वीकृति के कार्य प्रारम्भ न किया जाय।

(3) कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना कि स्वीकृत नार्म है, स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय कदापि न किया जाय ।

(4) एक मुश्त प्राविधान के कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक होगा।

कमश..2.

(5) कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि के मध्य नजर रखते हुए एंव लोक निमार्ण विभाग/उत्तराचंल पेयजल निगम द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों के अनुरूप ही कार्य को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें।

(6) कार्य कराने से पूर्व स्थल का भली भांति निरीक्षण उच्च अधिकारियों के साथ के साथ अवश्य करा लें । निरीक्षण के पश्चात स्थल आवश्यकतानुसार निर्देशों तथा निरीक्षण टिप्पणी के अनुरूप कार्य किया जाय।

(7) आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गयी है, उसी मद पर व्यय किया जाए, एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाए ।

(8) प्रश्नगत योजना हेतु शासनादेश संख्या 3757/नौ–2(09पे0)/2001 दिनांक 14.12.01 द्वारा स्वीकृत रू0 1.00 लाख एवं शासनादेश संख्या 2688/नौ–2 (48पे0)/2003, दिनांक 20.11.2003 द्वारा स्वीकृत रू0 40.00 लाख अर्थात कुल रू0 41.00 लाख की सीमा तक व्यय किये जाने की स्वीकृति इस प्रतिबन्ध के साथ दी जा रही है कि इस धनराशि को औचित्यपूर्ण धनराशि में पूर्णरूपेण समायोजित समझा जायेगा तथा इसका व्यय शासन की अनुमति के उपरांत किया जायेगा।

(9) निमार्ण सामग्री को प्रयोग में लाने से पूर्व किसी प्रयोगशाला से टैस्टिंग करा ली जाय तथा उपयुक्त पायी जाने वाली सामग्री को प्रयोग में लाया जाए ।

(10) व्यय करते समय बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका एंव मितव्ययता के विषय में शासन द्वारा समय–समय पर निर्गत आदेशों का अनुपालन किया जायेगा ।

2–प्रस्तावित योजनान्तर्गत निर्माण कार्य हेतु वन विभाग से स्वीकृति/अनुमति प्राप्त किये जाने के सम्बंध में संयुक्त निरीक्षण होना बताया गया किन्तु अभी तक अनुमति प्राप्त नही हुई है। अतः वन विभाग से निर्विवाद स्वीकृति प्राप्त होनें के उपरान्त ही योजना हेतु धनराशि शासन द्वारा यथा समय अवमुक्त किये जाने पर विचार किया जायेगा।

3– योजनान्तर्गत गॉव से भुगतान प्राप्त किये जाने से सम्बन्धित प्रपत्र–1 एवं–2 (ग्राम प्रधानों से सम्बन्धित) एवं ग्रामों के आकड़े/श्रोत सम्बंधी विवरण की पुष्टि कर सूचना शासन को एक सप्ताह के भीतर उपलब्ध कराई जायेगी।

4– प्रश्नगत योजना की वर्षवार वित्तीय एंव भौतिक फॉट (Phasing) कर ली जाय तथा 3 वर्षो के अन्दर योजना के निमार्ण पूर्ण किये जाने हेतु प्रयास किये जाय।

5– यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय सं0677/वित्त अनु0–3/2004 दिनांक 07 मार्च, 2005 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं ।

भवदीय

(कुँवर सिंह)
अपर सचिव

संख्या– 2787(1)/उन्तीस/04–2(38पे0) 2004, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1 महालेखाकार,उत्तराचंल देहरादून ।
2 मुख्य अभियन्ता ,उत्तराचंल पेयजल निगम,पौड़ी को इस आशय से प्रेषित कि कृपया सम्बन्धित अवर अभियन्ता /सहायक अभियन्ता को शासन में भेजकर आगणन में की गयी कटौतियों को नोट करने हेतु निर्देशित करें
3 मण्डलायुक्त गढ़वाल मण्डल ।
4 जिलाधिकारी, पौड़ी ।
5 मुख्य महाप्रबन्धक उत्तराचंल जल संस्थान,देहरादून ।
6 निजी सचिव मा0 मुख्य मंत्री/पेयजल मंत्री ।
7 वित्त अनुभाग–3/ नियोजन प्रकोष्ट ।
8 निदेशक, एन0आई0सी0 सचिवालय परिसर, देहरादून।

आज्ञा से

(कुँवर सिंह)
अपर सचिव